

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0-भवन/स्था0-01-विविध-914/2021.....332...../पटना, दिनांक-30/9/20

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-8043, दि0-11.10.2017 के कंडिका-3(B) में निहित प्रावधान के आलोक में भवन निर्माण विभाग में पदस्थापित निम्नांकित अभियंताओं (असैनिक) को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से कॉलम-5 में अंकित वेतन स्तर के अनुसार अनुमान्य शहरी परिवहन भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0 सं0	नाम/पदनाम/वेतन स्तर	प्रभार ग्रहण की तिथि	शहरी परिवहन भत्ता की प्रभावी होने की तिथि	वेतन स्तर/अनुमान्य शहरी परिवहन भत्ता
1	2	3	4	5
1.	श्री निर्भय सचान, कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल सं0-01, पटना (वेतन स्तर-11)	06.07.2026 (पूर्वाहन)	06.07.2026	वेतन स्तर-11/ 4,000/-+ मँहगाई भत्ता
2.	श्री रवि रंजन कुमार, तकनीकी सलाहकार, दक्षिण बिहार अंचल, पटना (वेतन स्तर-11)	03.07.2026 (अपराहन)	04.07.2026	वेतन स्तर-11/ 4,000/-+ मँहगाई भत्ता

2. यह भत्ता अवकाश, प्रशिक्षण, भ्रमण आदि कारण लगातार 30 दिनों से अधिक अवधि तक कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में अनुमान्य नहीं होगा।

3. यदि यह पाया गया कि उक्त पदाधिकारी को गलत परिवहन भत्ता का भुगतान किया गया है, तो उसकी वसूली उनके वेतन से एकमुश्त कर ली जायेगी।

4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(नीरज कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- भवन/स्था0-01-विविध-914/2021...../पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-वरीय लेखा पदाधिकारी, महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- भवन/स्था0-01- विविध-914/2021.....9305(ग)...../पटना, दिनांक:- 30/9/20

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता (संरचना)/अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Y. Jermal
30/09/20

सरकार के अवर सचिव।